कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।
(भूलेख अनुभाग)

संख्याः 225 / पांच भू०व्य०—ले०भर्ती—2015 / 2016 दिनांकः 04 जून 2016

आदेश / आबंटन

लेखपाल भर्ती —2015 के आधार पर जनपद बाराबंकी में कुल 225 रिक्त विज्ञाप्ति पदो के सापेक्ष दिनांकः 30.03.2016 को घोषित परिणाम में लेखपाल सेवा नियमावली—2006 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रवीणता के कम में 223 अभ्यिर्थियों का चयन किया गया है।

1— लेखपाल पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति लेखपाल सेवा नियमावली—2006(यथा संशोधित—2014) के नियम—15(1) में दी गई व्यवस्था के अधीन तथा परिषदादेश संख्याः 1560 / 4—34ए / 2013 दिनांकः 15.05.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार होगी। अभ्यर्थियों को लेखपाल पद का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण के अन्त में एक अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस हेतु परिषद स्तर से पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।

2— प्रशिक्षण —परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना लेखपाल पद पर स्थयीकरण नहीं किया जायेगा। लेखपाल सेवानियमावली के नियम 18 के अनुसार अर्हकारी परीक्षा में यदि कोई अभ्यर्थी असफल रहता है तो ऐसे विषयों में, जिनमें अर्हकारी परीक्षा के दौरान असफल रहा, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा। यदि उक्त अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाने के पश्चात् भी कोई प्रशिक्षणार्थी असफल रहता है तो उसे सेवा के लिए अनुपयुक्त माना जायेगा।

3— नियमावली के नियम—19(1) के अनुसार परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी। नियुक्ति प्राधिकारी अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है।

4— नियमावली के नियम—20 के अन्तर्गत किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के स्थायीकरण के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेता है।
(ख) वह विहित अर्हकारी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेता है।
(ग)उसका कार्य व आचरण संतोषजनक रहता है।
(घ)उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर जाती है, और
(ड)नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को लेखपाल पर पर वेतनमान 5200—20,000 ग्रेड वेतन 2000 में नियुक्त किये जाने हेतु निम्नानुसार तहसील आबंटित की जाती हैः—